Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(11)	(12)
By direct recruitment	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee for termination of probation/confirmation : 1. Joint Director, Central Water and Power Research Station, Pune —Chairman 2. Chief Research Officer, Central Water and Power Research Station, Pune —Member 3. A group 'A' officer from other Central Government Department —Member	Not applicable.

[F. No. 2/3/2003-E. II]

K. G. THANG, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2010

सा.का.नि. 76.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला पुणे में सहायक तकनीकी सेवाएं (प्रयोगशाला कर्मचारिवृंद समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2001 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे में प्रयोगशाला सहायक के पदों पर की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र पुणे, सहायक तकनीकी सेवाएं, प्रयोगशाला सहायक समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना.—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि .—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रयोगशाला सहायक श्रेणी-I	30* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन-2800 रु.	चयन	नहीं	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति :** ऐसा प्रयोगशाला सहायक श्रेणी-II जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो । **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : 1. संयुक्त निदेशक, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे —अध्यक्ष 2. ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र —सदस्य 3. केन्द्रीय सरकार से भिन्न किसी अन्य विभाग का कोई समूह 'क' अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रयोगशाला सहायक श्रेणी-II	88* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन- 2400 रु.	चयन	नहीं	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति :** श्रेणी-III में, ऐसा प्रयोगशाला सहायक जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो । **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

(13)	(14)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी : 1. संयुक्त निदेशक, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे —अध्यक्ष 2. ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र —सदस्य 3. केन्द्रीय सरकार से भिन्न किसी अन्य विभाग का कोई समूह 'क' अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. प्रयोगशाला सहायक श्रेणी-III	20* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन-2000 रु.	लागू नहीं होता	नहीं	21 से 27 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक की जा सकती है ।) **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।) **टिप्पण 2 :** रोजगार कार्यालयों से अभ्यर्थियों की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से गणित, विज्ञान (भौतिकी विज्ञान और रसायन विज्ञान) और अंग्रेजी विषयों के साथ 10+2 अथवा इसके समतुल्य	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(11)	(12)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

(13)	(14)
पुष्टि के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :— 1. संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे —अध्यक्ष 2. ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र —सदस्य 3. केन्द्रीय सरकार से भिन्न किसी अन्य विभाग का कोई समूह 'क' अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 2/28/98-स्था.-II]

के. जी. थंग, अवर सचिव

New Delhi, the 20th April, 2010

G.S.R. 76.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Water Resources, Central Water and Power Research Station, Pune, Auxiliary Technical Services (Laboratory Staff) , (Group 'C' Posts) , Recruitment Rules, 2001, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Laboratory Assistant in the Ministry of Water Resources, Central Water and Power Research Station, Pune, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, Central Water and Power Research Station, Pune, Auxiliary Technical Services, Laboratory Assistant, Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Casts, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laboratory Assistant Grade-I	30* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-1 Rs. 5200-20200 plus Grade Pay Rs. 2800	Selection	No	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made
(11)	(12)
By promotion	**Promotion :** Laboratory Assistant Grade-II with five years regular service in the grade. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Departmental Promotion Committee (for promotion), consisting of :— 1. Joint Director, Central Water and Power Research Station, Pune —Chairman 2. Senior Research Officer, Central Water and Power Research Station, Pune —Member 3. A Group 'A' officer from some other Department of the Central Government —Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laboratory Assistant Grade-II	88* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-1 Rs. 5200-20200 plus Grade Pay Rs. 2400	Selection	No	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(11)	(12)
By promotion	**Promotion :** Laboratory Assistant Grade-III with five years regular service in the grade. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period.

(13)	(14)
Departmental Promotion Committee (for promotion), consisting of :— 1. Joint Director, Central Water and Power Research Station, Pune —Chairman 2. Senior Research Officer, Central Water and Power Research Station, Pune —Member 3. A Group 'A' officer from some other Department of the Central Government —Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laboratory Assistant Grade-III.	20* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-1 Rs. 5200-20200 plus Grade Pay Rs. 2000	Not applicable	No	Between 21 and 27 years. (Relaxable for Government servants up to the age of forty years in case of general candidates and up to forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in

(7)
Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Tripura, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2 :** The crucial date for determining the age limit in case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

(8)	(9)	(10)
10 + 2 or equivalent with Mathematics, Science (Physics and Chemistry) and English as subjects from a recognised Board.	Not applicable	Two years

(11)	(12)
By direct recruitment	Not applicable

(13)	(14)
Group "C" Departmental Promotion Committee for confirmation, consisting of :— 1. Joint Director, Central Water and Power Research Station, Pune —Chairman 2. Senior Research Officer, Central Water and Power Research Station, Pune —Member 3. A Group 'A' officer from some other Department of the Central Government —Member	Not applicable

[F. No. 2/28/98-E. II]

K. G. THANG, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2010

सा.का.नि. 77.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधानशाला, नई दिल्ली (टेलीफोन आपरेटर) भर्ती नियम, 1987; केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली (रिप्रोग्राफिक सहायक) भर्ती नियम, 1985; जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधानशाला, दिल्ली समूह 'ग' (बढ़ई) भर्ती नियम, 1990, और जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली, समूह "ग" (राज) भर्ती नियम, 1990 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली में टेलीफोन आपरेटर, रिप्रोग्राफिक सहायक, बढ़ई और राजमिस्त्री के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—